(124)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3450–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–08–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 133/2009–10/अपील

.....

श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट
द्वारा अध्यक्ष नारायण प्रसाद अग्रवाल,
अशोक बूट हाउस, निचला बाजार
गुना

..... आवेदक

विरूद्ध

1–दौलतसिंह पुत्र स्व0रामश्याम
2–गोपाल पुत्र स्व0घनश्याम
3–शंकर सिंह पुत्र स्व0घनश्याम
4–हल्लू पुत्र स्व0घनश्याम
5–वन्टी पुत्र स्व0घनश्याम
6–श्याम पुत्र स्व0घनश्याम
7–हीरा पुत्र स्व0घनश्याम
8–सुनील पुत्र स्व0घनश्याम
9–गंगाबाई वेवा पत्नी स्व0घनश्याम
समस्त निवासीगण पुरानी छावनी संकलपुर रोड, गुना
10–पुनियाबाई पुत्री स्व0श्री किशन काछी
निवासी पुरानी छावनी गुना
11–रमकोबाई पुत्री स्व0श्री किशन काछी पत्नी नारायणसिंह
निवासी खेजरा थाना केन्ट जिला गुना
12–रामकुंअरबाई पुत्री स्व0प्रभुलाल
निवासी कालापाठा केन्टु गुना
13–गनेशीबाई पुत्री स्व0लालाराम पत्नी हरप्रसाद
निवासी फतेहपुर पोस्ट पाटई गुना
14–उदयसिंह पुत्र स्व0बलवन्तसिंह
निवासी पुरानी छावनी जोगी मोहल्ला, गुना
15–मुल्लोबाई पुत्री स्व0वलवन्त सिंह
निवासी वांसखेडी रेल्वे फाटक के पास केन्ट गुना ..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक–आवेदक
श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 26/4/13 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–08–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा गुना में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 05 रकबा 1.985 हेक्टेयर पर आवेदक संस्था द्वारा अपना कब्जा बताते हुये विवादित भूमि पर कब्जा दर्ज किये जाने बावत् आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 26/07–08/अ–6–अ दर्ज कर दिनांक 20–12–07 से विवादित भूमि पर आवेदक संस्था का कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–2009 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–8–2012 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर विवादित भूमि की पूर्व की स्थिति कायम कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित समवर्ती आदेशों को निरस्त करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा संबंधित हित रखने वाले व्यक्तियों की विधिवत् सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है । अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को अन्य किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विवादित आदेश में प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में इस न्यायालय के अभिनिर्धारण 2006 के नि0पृष्ठ 104

का उल्लेख कर उसे अपने आदेश का आधार बनाया है जबकि यह अभिनिर्धारण वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है। यह भी कहा गया कि वर्तमान प्रकरण में संहिता की धारा 115, 116 तथा 121 के प्रावधान लागू होने से प्रारंभिक न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अपने स्थान पर उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज किया गया है, जबकि संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार को कब्जा दर्ज किये जाने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है एवं जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–08–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर